सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 47 / 2014 दायर दिनाँक 13.03.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुमेरदान दत्तक पुत्र स्व0 चैलदान जाति चारण निवासी कुचेटिया तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रवण पुत्र मोहनाराम 2. ओमाराम पुत्र मोहनाराम 3. पांचाराम पुत्र मोहनाराम जाति समस्त बावरी निवासी कुचेटिया 4. उदरा उर्फ शंकर पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी दसुसर तहसील रतनगढ जिला चुरू 5. शंकर पुत्र मोडा 6. सन्तु पत्नी जसाराम 7. देवाराम पुत्र जसाराम 8. मेवाराम पुत्र जसाराम 9. सेवाराम पुत्र जसाराम समस्त जाति बलाई निवासी कुचेटिया 10. रामनिवास पुत्र घीसा 11. रामचन्द्र पुत्र घीसा 12. सुगनी बेवा घीसा समस्त जाति बलाई निवासी कुचेटिया 13. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छोटी खाटू 14. किशनाराम पुत्र हरजी 15. मोहनाराम पुत्र हरजी 16. मदनराम पुत्र हरजी 17. नारायणराम पुत्र हरजी जाति जाट निवासी कुचेटिया 18. मोतीराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी चक राणी गांव तहसील मकराना 19. कंवरी पुत्री हरजी 20. बाउ पुत्री हरजी 21. छोटी पुत्री हरजी 22. गीता पुत्री हरजी 23. मांगु पुत्री हरजी 24. चौथु पुत्री हरजी 25. सुटी पुत्री हरजी समस्त जाति जाट निवासी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 47/2014
दायर दिनाँक 13.03.2014, निर्णय दिनाँक 11.02.2019
सुमेरदान बनाम् श्रवण, वगैरा।

		कुचेटिया 26. पेमी पत्नी हरजी जाति जाट निवासी कुचेटिया 27. उप पंजीयक खाटू खुर्द 28. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी, वकील, वादी।
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 17 की ओर से।

दिनाँक **11.02.2019**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी गाँव कुचेटिया का स्थाई निवासी है व वादी स्वर्गीय चेलदान का गोदपुत्र है व चेलदान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताजकँवर पत्नी चेलदान जिसके नाम से राजस्व भूमि जमाबन्दी खतौनी ग्राम कुचेटिया तहसील डीडवाना जिला नागौर खतौनी की संख्या 40 बहैसियत भूमि अधिकारी जागीरदार खसरा नम्बर 42 रकबा 54.15 बीघा सम्वत् 2017–2020 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो वर्तमान में खसरा नम्बर 42 रकबा 10.10 बीघा, खसरा नम्बर 42/108 रकबा 10.08 बीघा कुल खसरा 04 रकबा 54.15 बीघा जिसकी जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2069 से 2072 प्रमाणित वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत है।

ताजकँवर पत्नी स्वर्गीय चेलदान चारण जो कि विधवा थी तथा पर्दानसीन औरत होने से प्रतिवादीगण को एवं उनके पूर्वजों को काश्त करने हेतु राजस्व भूमि वान्टे पर बताई गयी थी जो कि राजस्व कर्मचारियों की भूल से कृषक के नाम से गलत इन्द्राज दर्ज हो गया

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 47/2014
दायर दिनाँक 13.03.2014, निर्णय दिनाँक 11.02.2019
सुमेरदान बनाम् श्रवण, वगैरा।

जबकि मौके पर सम्वत् 2010 के निरन्तर आज दिन तक पूर्व में कब्जा उपयोग–उपभोग ताजकँवर पत्नी स्वर्गीय चेलदान चारण का था तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 42, 42/106, 42/107 व 42/108 कुल खसरा 04 रकबा 54.15 बीघा पर वादी का कब्जा अवाध व निर्बाध रूप से बिना किसी रोक–टोक के निरन्तर सम्वत् 2006 से आज दिन हो गया जबकि मौके पर सम्वत् 2010 से निरन्तर आज दिन तक पूर्व में कब्जा उपयोग–उपभोग ताजकँवर पत्नी स्वर्गीय चेलदान चारण का था तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 42, 42/106, 42/107 व 42/108 कुल खसरा 04 रकबा 54.15 बीघा पर अवाध व निर्बाध रूप से बिना किसी रोट–टोक के निरन्तर सम्वत् 2006 से आज दिन चला आ रहा है।

राजस्व रिकॉर्ड गलत नाम प्रतिवादीगण के अंकित होने से तथा प्रतिवादीगण के नाम खतौनी में दर्ज होने का कभी भी इल्म वादी को नहीं रहा है परन्तु जब प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 ने कई वर्षों बाद पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा कर एलानियाँ धमकियाँ देने लगे कि आपके खेत की खातेदारी हमारे नाम से दर्ज है तथा आप हमारे से राजीनामा कर लो तथा खेत का 54.15 बीघा का हिस्सा आधा–आधा हिस्स कर लो। जब वादी ने राजस्व विभाग से सम्पूर्ण नकलें प्राप्त की तो जानकारी में आया कि राजस्व कर्मचारियों ने पूर्व में गलत करने से तथा वादी को इस बात की जानकारी नहीं होने से इस बात का बैजा, अवैध व विधि विरूद्ध तरीके से फायदा उठाते हुए कब्जा करने की एलानियाँ धमकियाँ प्रतिवादीगण दे रहे हैं जिससे वादी को अपनी पैतृक सम्पत्ति जो कि निरन्तर कदीमीकाल से वर्तमान में भौतिक व वास्तविक कब्जाकाश्त में रही है पर खतरे के बादल मण्डराने लग गये हैं जिससे वाद घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 47/2014
दायर दिनाँक 13.03.2014, निर्णय दिनाँक 11.02.2019
सुमेरदान बनाम् श्रवण, वगैरा।

वादी उक्त राजस्व भूमि पर अपना आवास बनाकर जब वर्षात् में चौमासे का समय होता है तो परिवार सहित टपरी बनाकर रहता आया है जो कई वर्षों से है।

प्रतिवादी संख्या 18 ने प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 17 को दिनाँक 12.02.2014 को हकतर्कनामा इस आशय का तहरीर व तकमील उप पंजीयक छोटी खाटू के समक्ष पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 02 पृष्ठ संख्या 10 क्रम संख्या 210/14 पर पंजीबद्ध किया जो अवैध व विधिविरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि उक्त हकतर्कनामा ग्राम कुचेटिया में अवस्थित भूमि जिसका खसरा नम्बर 42 रकबा 10.10 बीघा किस्म बारानी अलीफ लगान 0.75 पैसा, भूमि खसरा नम्बर 42/106 रकबा 23.09 बीघा किस्म बारानी अलीफ लगान 0.75 पैसा, भूमि 42/107 रकबा 10.08 बीघा किस्म बारानी अलीफ लगान 0.75 पैसा, भूमि 42/108 रकबा 10.08 बीघा किस्म बारानी अलीफ लगान 0.75 पैसा कुल खसरा 04 रकबा 54.15 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 18 की नानी चन्द्री के नाम गलत रूप से खातेदारी दर्ज हो गयी थी तथा चन्द्री के फौत हुए करीब 40 साल हो गये हैं परन्तु अब प्रतिवादी संख्या 18 ने अपने नाम से अपनी नानी के नाम खातेदारी में दर्ज भुल से हो जाने से मौके पर कभी कब्जाकाश्त चन्द्री का नहीं रहा है फिर भी राजस्व कर्मचारियों से साँठगाँठ करके बहैसियत उत्तराधिकारी दोहिता बताकर अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया तथा उसके बाद प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 17 को जरिये इकतर्कनामा के माध्यम से नामान्तरकरण करवा लिया। उक्त हकतर्कनामा प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है जिसे शून्य घोषित करवाया जाना न्यायोचित व विधिक रूप से समुचित है।

बिनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का बमुकाम कुचेटिया में उत्पन्न हुआ है जब वाद वर्णितानुसार मामला हुआ।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार डीडवाना लैण्डहोल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं तथा उप पंजीयक खाटूखुर्द दस्तावेजात् की वाद प्रस्तुत होने के बाद उक्त राजस्व पंजीयन नहीं करें, इसलिए पक्षकार बनाया गया है।

वादी अनुतोष है कि,

डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इश आशय की जारी की फरमावे कि मौजा कुचेटिया में खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 10.10 बीघा, खसरा नम्बर 42/106 रकबा 23.09 बीघा, खसरा नम्बर 42/107 रकबा 10.08 बीघा, खसरा नम्बर 42/108 रकबा 10.08 बीघा कुल खसरा 04 रकबा 54.15 बीघा भूमि की घोषणा खातेदारी की जाकर रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 28 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 27 व 28 के वावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी को सम्मन पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये थे मगर सम्मन तलवाना पेश नहीं होने पर, दिनॉक 05.06.2017 को आदेश 09 नियम 05 सी.पी.सी. के तहत् वाद खारीज किया गया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि मामला अचल सम्पति का है इसलिए वाद को पुनः रिस्टोर किया जावे, जिस पर सुन कर न्याय हित में प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम कुचेटिया सम्वत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रतिलिपि, हर्कतर्कनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि, फार्म 19 जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम कुचेटिया सम्वत् 2013–16, 2061–2064, 2032–2035 की प्रमाणित प्रतिपियाँ, गिरदावरी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 47 / 2014
दायर दिनाँक 13.03.2014, निर्णय दिनाँक 11.02.2019
सुमेरदान बनाम् श्रवण, वगैरा।

(चतुर्थवर्षीय) ग्राम कुचेटिया सम्वत् 2014, 2015, 2016, 2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील प्रतिवादीगण के बावजूद विरोध के, वकील वादी वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन कर रहे हैं तथा कब्जा के आधार पर वाद वादी माफिक डिक्री की इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

जमाबन्दी रिकॉर्ड के अनुसार वादी का कब्जा साबित होता है परन्तु वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि है जो कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन को किसी अन्य जाति के व्यक्ति नाम से हस्तानान्तरित किया जाना विधि विरूद्ध है इसलिए हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने से काबिल–ए–खारिज है। लिहाजा हस्तगत वाद इस स्तर पर खारिज किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

आदेश

मौजा कुचेटिया में खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 10.10 बीघा व खसरा नम्बर 42 / 106 रकबा 23.09 बीघा व खसरा नम्बर 42 / 107 रकबा 10.08 बीघा व खसरा नम्बर 42 / 108 रकबा 10.08 बीघा कुल खसरा 04 रकबा 54.15 बीघा भूमि बाबत् पेश हस्तगत वाद हेतु घोषणा खातेदारी, पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **12.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 47/2014 दायर दिनॉक 13.03.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुमेरदान दत्तक पुत्र स्व0 चैलदान जाति चारण निवासी कुचेटिया तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रवण पुत्र मोहनाराम 2. ओमाराम पुत्र मोहनाराम 3. पांचाराम पुत्र मोहनाराम जाति समस्त बावरी निवासी कुचेटिया 4. उदरा उर्फ शंकर पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी दसुसर तहसील रतनगढ जिला चुरू 5. शंकर पुत्र मोडा 6. सन्तु पत्नी जसाराम 7. देवाराम पुत्र जसाराम 8. मेवाराम पुत्र जसाराम 9. सेवाराम पुत्र जसाराम समस्त जाति बलाई निवासी कुचेटिया 10. रामनिवास पुत्र घीसा 11. रामचन्द्र पुत्र घीसा 12. सुगनी बेवा घीसा समस्त जाति बलाई निवासी कुचेटिया 13. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छोटी खाटू 14. किशनाराम पुत्र हरजी 15. मोहनाराम पुत्र हरजी 16. मदनराम पुत्र हरजी 17. नारायणराम पुत्र हरजी जाति जाट निवासी कुचेटिया 18. मोतीराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी चक राणी गांव तहसील मकराना 19. कंवरी पुत्री हरजी 20. बाउ पुत्री हरजी 21. छोटी पुत्री हरजी 22. गीता पुत्री हरजी 23. मांगु पुत्री हरजी 24. चौथु पुत्री हरजी 25. सुटी पुत्री हरजी समस्त

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		जाति जाट निवासी कुचेटिया 26. पेमी पत्नी हरजी जाति जाट निवासी कुचेटिया 27. उप पंजीयक खाटू खुर्द 28. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक **11.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी, वकील, वादी व श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 17 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, मौजा कुचेटिया में खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 10.10 बीघा व खसरा नम्बर 42/106 रकबा 23.09 बीघा व खसरा नम्बर 42/107 रकबा 10.08 बीघा व खसरा नम्बर 42/108 रकबा 10.08 बीघा कुल खसरा 04 रकबा 54.15 बीघा भूमि बाबत् पेश हस्तगत वाद हेतु घोषणा खातेदारी, पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **11.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner